

प्रेम्बर,

श्री अशोक नांगुनी,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र 5 सुभाष केंद्र,
प्रतिनिधिकार नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 1994

विषय:- चौधरी छवीसदास पब्लिक स्कूल नाजियाबाद को सी०बी०एस्०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाने के संबंध में महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि चौधरी छवीसदास पब्लिक स्कूल नाजियाबाद को सी०बी०एस्०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवे रित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीतापट्टी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्वी विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैशिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फ़ार दि हैडिक्वियन स्कूल सर्टीफिकेट प्रमाणन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था वैशिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

6- कार्यवाहियों की सेवा ज्यों कपायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यवाहियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तंत्र्या उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित रुपन/संख्याओं में रखा जायेगा

9- उक्त जत्तों में राज्य सरकार के पुनानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सम्बन्धता से पूर्व कृपया यह सुनिश्चित कर में कि विद्यालय में नरनी कक्षाओं का संयोजन नहीं किया जा रहा है । तथा विद्यालय में कोई अप्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिका कार्यरत नहीं है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तंत्र्या के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तंत्र्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूर या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,


।आर्कि मांगनी।
उप तंत्र्या ।

पुंरं 2792111/15-7-1994 तददिनांक
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को हुक्माई एवं आक्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- सहायीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंग्ग भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, चौधरी उबीन दास पाब्लिक स्कूल, गाजियाबाद ।

आज्ञा से,


।आर्कि मांगनी।
उप तंत्र्या ।